रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24082026-275698
CG-DL-E-24082026-275698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4437]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948
No. 4437]	NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(युवा कार्यक्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4618(अ).—जबकि पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएँ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और जबकि युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार) इसके बाद" उक्त विभाग" के रूप में उल्लिखित(, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम) आरवाईएसके (नामक एकछत्र स्कीम के अंतर्गत एक उप-स्कीम के रूप में" स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता "स्कीम] प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम कोड-एवाई0वाई5] (इसके बाद "उक्त स्कीम "के रूप में उल्लिखित (का संचालन कर रहा है;

और जबकि उक्त स्कीम के अंतर्गत, विभाग द्वारा स्काउटिंग और गाइडिंग गतिविधियों के संचालन के लिए विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों) एनजीओ (को स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा अनुदान उक्त एनजीओ को विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन, माय भारत के माध्यम से अंतरित किया जाता है;

और जबकि उक्त स्कीम के अंतर्गत तथा उसके संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्काउटिंग या गाइडिंग शिविरों और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए स्काउट या गाइड या शिक्षकों या अन्य प्राधिकृत कार्मिकों) इसके बाद" लाभार्थी "के रूप में उल्लिखित (को बोर्डिंग, लॉजिंग और यात्रा व्यय) इसके बाद" उक्त लाभ "के रूप में उल्लिखित (प्रदान किया जाता है;

तथा जबकि उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

तथा जबकि उक्त विभाग इच्छुक है कि उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के प्रयोजन से, यह अपेक्षा करता है कि ऐसे लाभार्थी प्रमाणीकरण कराए, या आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करे या किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे कोई आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है, नामांकन के लिए एक आवेदन करे;

अब, इसलिए, आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

.1 (1) उक्त स्कीम के तहत उक्त लाभ का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को प्रमाणीकरण कराना होगा, या आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा:

बशर्ते कि यदि वह व्यक्ति नाबालिग है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से किया जाएगा।

(3) उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसार, उक्त विभाग ऐसे लाभार्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिन्हें अभी तक नामांकित नहीं किया गया है, या उचित उपायों के माध्यम से उनके आधार विवरण को अपडेट करेगा, जिसमें रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करना और सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केंद्र स्थापित करना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना शामिल है:

बशर्ते कि जब तक ऐसे लाभार्थी को आधार संख्या आवंटित नहीं की जाती है, तब तक वह उक्त लाभ जिनका वह हकदार है, प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करके स्थापित कर सकता है तथा जो प्रस्तुत किए जाने के समय वैध हों; अथवा, यदि उक्त विभाग द्वारा ऐसी पहचान हेतु उपलब्ध कराए गए या अधिकृत सॉफ्टवेयर में इन दस्तावेजों की सामग्री से संबंधित जानकारी को उनके निर्माण या अभिलेखनरखरखाव से संबंधित प्राधिकरणों के / डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो, तो ऐसी जानकारी प्राप्त किए जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करके अपनी पहचान स्थापित कर सकता है, अर्थात्

अठारह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए जिसे आधार संख्या नहीं दी गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर नामांकन प्रक्रिया के बाद ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी को प्रदान की गई पावती जिसमें नामांकन ईआईडी शामिल होती है; तथा

(ख) यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी अठारह वर्ष से कम आयु का है, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज अर्थात्: -

(i) भारतीय पासपोर्ट;

(ii) स्कूल शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10 वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12 वीं कक्षा प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण;

(iii) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान द्वारा रखे गए बच्चे जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है अथवा कानूनी संघर्ष करने वाले बच्चे के संबंध में, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी अथवा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(iv) एक विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(क) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ख) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा अन्य है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा; या

(v) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के तहत दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जैसा कि लाभार्थी के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से निकाला गया हो;

(ग) माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ उसके संबंधों का प्रमाण देने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, अर्थात्: -

(i) राशन कार्ड;

(ii) एक राजपत्रित अधिकारी, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो, जो तहसीलदार के पद से निम्नतर न हो द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;

(iii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10 वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12 वीं कक्षा प्रमाण पत्र या अंकों का विवरण;

(vi) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के साथ पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान द्वारा रखे गए बच्चे जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है अथवा कानूनी संघर्ष करने वाले बच्चे के संबंध में, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी अथवा परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(vii) एक विदेशी नागरिक के संबंध में, -

(क) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ख) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा अन्य है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा; या

(viii) एक लाभार्थी के संबंध में, जिसके पास कानूनी अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या कानूनी संरक्षकता के लिए अन्य दस्तावेज हैं, जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1990 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात मानसिक मंदता और बहुनिसशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास: अधिनियम, 1999 (1999 का 44) अथवा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियम और विनियम के तहत कानूनी अदालत या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; अथवा

(ix) उक्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज ।

ऐसे लाभार्थीजो अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जिन्हें आधार संख्या जारी नहीं की गई , हो के लिए:

(क) नामांकन केंद्र पर नामांकन प्रक्रिया के बाद ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी को प्रदान की गई पावती, जिसमें ईआईडी शामिल हो; तथा

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, यथा-:

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) किसी राजपत्रित अधिकारी, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट हो या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी हो तथा तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं हो, द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र;

(iv) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) स्कूली शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या **10** वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या **12** वीं कक्षा का प्रमाण पत्र या अंक तालिका;

(vii) किसी सरकारी संस्था या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के अंतर्गत उल्लिखित दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के तहत अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र, अथवा भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी);

(ix) भारत में जारी ड्राइविंग लाइसेंस;

(x) किशोर न्याय) बालकों की देखरेख और संरक्षण (अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के तहत बनाए गए नियमों के तहत संबंधित राज्य सरकार के अधीन पंजीकृत बाल देखभाल संस्थान द्वारा अनुरक्षित बच्चों या विधिक संघर्ष अधीन बच्चों के संबंध में, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) विदेशी नागरिकों के संबंध में, -

(क) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड;

(ख) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र;

(ग) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(घ) यदि वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक के अलावा अन्य है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या समाप्त हो चुके विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत के लिए दीर्घकालिक वीजा; या

(xii) ऐसे लाभार्थी, जिनके पास विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश या विधिक संरक्षकता सं संबंधित कोई अन्य दस्तावेज हो, जो न्यायालय या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1990 का 8), किशोर न्याय) बालकों की देखरेख और संरक्षण (अधिनियम, 2015 (2016 का 2), ऑटिज्म,मस्तिष्क पक्षघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के तहत बनाए गए लागू नियम और विनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; या

(xiii) उक्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

(4) उक्त मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी, धारा) 3) के अंतर्गत प्रस्तुत दस्तावेज़ों अथवा उनमें निहित जानकारी के संबंध में जाँच करेगा-

(क) ईआईडी को माय आधार पोर्टल) https://myaadhaar.uidai.gov. in/portal) पर डालकर नामांकन अनुरोध की स्थिति की पुष्टि की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईआईडी वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकृत नहीं हुआ है; तथा

(ख) अन्य दस्तावेज़ों और इस प्रयोजन के लिए प्रस्तुत जानकारी को किसी सरकारी संस्था अथवा ऐसे प्राधिकरण के साथ साझा किया जा सकता है जो ऐसे दस्तावेज़ों में निहित जानकारी को तैयार करने या अभिलेख-रखरखाव से संबंधित हों।

2. लाभार्थियों को सरलता से उक्त लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए उक्त विभाग मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि लाभार्थियों को उक्त स्कीम के तहत आधार संख्या की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. जहां किसी लाभार्थी के आधार संख्या का प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक-आधारित किसी भी प्रमाणीकरण विधि) जैसे, चेहरे की छवि, अंगुलियों के निशान या आइरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण (के माध्यम से किया गया हो और बायोमेट्रिक जानकारी की निम्न गुणवत्ता जैसे किसी कारण से वह असफल रहा हो तो उस स्थिति में निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय अपनाए जाएँगे—

(क (यदि किसी विशेष बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण विधि से प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, तो जहाँ भी संभव और स्वीकार्य हो, किसी अन्य बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण विधि अथवा वन-टाइम पासवर्ड) ओटीपी (आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी;

(ख (ऐसे मामलों में जहां प्रमाणीकरण हेतु बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित रीति संभव नहीं हो, वहां आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस) क्यूआर (कोड अथवा आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़ के आधार पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफ़लाइन सत्यापन द्वारा आधार संख्या की प्रामाणिकता स्थापित करने के बाद, जैसा भी मामला हो, निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर उक्त स्कीम के तहत लाभ दिया जा सकता है:

(i) आधार कार्ड, आधार पत्र) अर्थात, आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र (अथवा ई-आधार) अर्थात, यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकने वाली अथवा एमआधार) mAadhaar) ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकने वाले आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति (युक्त आधार सिक्योर क्विक रिस्पांस) क्यूआर (कोड जिसकी प्रामाणिकता आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार) mAadhaar) ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफ़लाइन सत्यापन के माध्यम से साबित की गई हो।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफ़लाइन ई-केवाईसी दस्तावेज़) जो यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा एमआधार) mAadhaar) ऐप पर उपलब्ध हो(, जिसकी

प्रामाणिकता इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय, विभाग अथवा स्कीम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित अनुप्रयोग के माध्यम से, दस्तावेज पर अंकित यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के ऑफलाइन सत्यापन द्वारा तथा इस संबंध में यूआईडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध विवरणों के अनुरूप साबित की गई हो।

4. उपरोक्त वर्णित किसी भी बात के बावजूद:

(क) उक्त स्कीम के अंतर्गत किसी बालक को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा-

(i) यदि प्रमाणीकरण के माध्यम से वह अपना पहचान स्थापित करने में असफल हो या आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हो; अथवा

(ii) यदि नामांकन के लिए किया गया आवेदन प्रस्तुत कर दें जिसमें उसे आधार संख्या आवंटित न की गई हो,

(ख) तो ऐसे बालक को उक्त स्कीम के अंतर्गत पैरा 1 के खंड) 3) के उपबंध में विनिर्दिष्ट तरीके से उसकी पहचान सत्यापित करके तथा उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध स्थापित करके लाभ प्रदान किया जाएगा; तथा

(ग) ऐसे मामले में जहाँ खंड) ख (के अंतर्गत लाभ दिया गया हो, वहाँ इस संबंध में रिकार्ड रखा जाएगा, समय-समय पर मंत्रालय द्वारा उसकी समीक्षा और लेखा-परीक्षा की जाएगी ।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि अठारह वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त स्कीम के तहत प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित न रहें विभाग भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन के दिनांक 19 दिसम्बर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं .डी-26011/04/2017-डीबीटी) https://dbtbharat.gov.in पर उपलब्ध (में निर्दिष्ट अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा ।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एम-4/2026-एसएंडजी]

शिव रतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Youth Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4618(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Department of Youth Affairs, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India (hereinafter referred to as the said Department) is administering the "Assistance to Scouting and Guiding Organisations" scheme [Direct Benefit Transfer Scheme Code-AY0Y5] (hereinafter referred to as the said scheme), a sub-scheme under the umbrella scheme, namely, Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram (RYSK);

And whereas under this scheme, financial assistance is given by the Department as per the scheme guidelines to the Non-Government Organisations(NGOs) recognised by the Department for conducting scouting and guiding activities. The grant is transferred by the Department to the NGOs through MY Bharat, an autonomous organisation under the administrative control of the Department;

And whereas the Boarding, Lodging and Travelling expenditure (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Scouts or Guides or Teachers or other authorised personnel (hereinafter referred to as the beneficiaries) for attending scouting or guiding camps and training camps under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof from time to time;

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas the said Department is desirous that for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit or for such engagement, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

(1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016 made under the said Act, the said Department shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment EID; and

(b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely: —

(i) Indian passport;

(ii) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;

(iii) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(iv) in respect of a foreign national, —

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(v) certificate of Birth given under the Registration of Births and deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

(c) any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—

(i) ration card;

(ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iii) medical or insurance identity card issued by a Government entity or public sector enterprise to a

retired or serving public servant or his family member;

(iv) Indian passport;

(v) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;

(vi) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(vii) in respect of a foreign national,—

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(ix) any other document as the said Department may specify:

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and

(b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iv) medical or insurance identity card issued by a Government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;

(vii) identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a Government entity or a public sector enterprise;

(viii) Disability certificate issued by notified medical authority under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 made under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), or the Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;

(ix) driving licence issued in India;

(x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or

(xi) in respect of a foreign national,—

(A) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(B) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(C) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(D) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) any other document as the said Department may specify.

(4) An officer designated by the said Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

(a) the status of the enrolment request by submitting the EID on my Aadhaar portal (https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal) to confirm that the EID is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any Government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Department shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:

(i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (that is, letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (that is, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.

4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—

(a) the benefit under the said scheme shall not be denied to a child—

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number;

(b) the benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.

5. In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Department shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on https://dbtbharat.gov.in).

6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. M/4/2026-S&G]

SHIV RATAN, Joint Secretary

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.24 16:12:48 +05'30'